AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

नासिरा शर्मा की कहानियों में बाल यौन शोषण की त्रासदी

ORIGINAL ARTICLE

Author

पारुल
शोधार्थी, साहित्य अध्ययनपीठ
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय
दिल्ली, भारत

शोध सार

आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चों की सुरक्षा भविष्य की सुरक्षा है। बच्चों के साथ होने वाले शोषण का रूप दिन–प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। कोई भी राष्ट्र असुरक्षित बचपन तथा असुरक्षित भविष्य के साथ सुदृढ़ नहीं हो सकता। एक स्वस्थ व विकसित राष्ट्र की नींव सभी के हित को ध्यान में रखकर ही मज़बूत होती है। वर्तमान समय में विभिन्न विमर्श सामने आए हैं, जिन्हें हाशिये से केंद्र में आने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। जब बच्चों का जीवन संकटग्रस्त हो तो इस संघर्षरत पंक्ति में बाल विमर्श की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। अमूमन बच्चों से संबंधित समस्याओं पर बात करना बहुत जरूरी नहीं माना जाता। बच्चों की समस्याओं को गंभीरता से न लेने के कारण वर्तमान समय में 'बाल विमर्श' जैसे विमर्श की आवश्यकता ने जन्म लिया है। अब भी यदि इसे उपेक्षा का सामना करना पड़ा तो निश्चित रूप से समाज का भविष्य संकट में आ जाएगा।

मुख्य शब्द

यौन शोषण, संवेदनशील, मार्मिक, यौन शिक्षा, कुंठा, पॉक्सो.

दरअसल बच्चे किसी विशेष धर्म, लिंग, जाति, समाज या देश से ही नहीं जुड़े होते हैं। इनकी समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय व सर्वव्यापी समस्या है। बच्चों के शोषण के अंतर्गत शारीरिक हिंसा, उपेक्षा, अपमान, भिक्षावृत्ति, अपहरण, बाल विवाह, बाल श्रम आदि मुख्य रूप से आते हैं परंतु इनमें सर्वाधिक संवेदनशील बाल यौन शोषण की समस्या है। इस विषय पर बात करने में या तो लोग झिझकते हैं या इसे ध्यान देने योग्य नहीं माना जाता। जब इस विषय पर बड़े पैमाने पर चर्चा ही नहीं हो पाती तो इसके समाधान की राह खोजने का प्रश्न स्वतः अनुत्तरित ही छूट जाता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसमें समाज का चित्र देखा जा सकता है। साहित्य समाज में व्याप्त समस्याओं के निराकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञात है कि साहित्य मनुष्य में संवेदना जाग्रत करने का सशक्त माध्यम है। जब कानूनी रूप से पूर्णतः किसी समस्या का हल नहीं निकल पाता तब साहित्य के द्वारा उसे संवेदनात्मक स्तर पर रोकने का प्रयास किया जा सकता है क्योंकि अंततः मनुष्य अपनी संवेदनाओं से संचालित होता है। भले ही कानून के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता लेकिन कानून के रहते हुए भी अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो साहित्य मनुष्य में संवेदना को जाग्रत कर, इस तरह के अपराध को होने से पहले रोकने का प्रयास कर सकता है। साहित्य अध्ययन पीड़ित व भविष्य में शोषक बनने वाले व्यक्ति दोनों के लिए लाभदायक हो सकता है। हिन्दी साहित्य में भी बाल यौन शोषण को लेकर साहित्यकारों द्वारा

महत्त्वपूर्ण लेखन कार्य गया है।

नासिरा शर्मा उन्हीं चुनिंदा रचनाकारों में से एक हैं, जिनके द्वारा लिखित रचनाओं में बच्चों की समस्याओं को विशेष स्थान दिया गया है। लेखिका ने तटस्थ हो कर बच्चों पर आधारित कहानियों में उनके साथ होने वाले यौन शोषण का चित्र खींचने–उकेरने का प्रयास किया है। बाल यौन शोषण जैसे ज्वलंत विषय को लेकर इनकी 'बिलाव', 'फिर कभी' तथा 'गूंगी गवाही' नामक कहानियाँ इस मुद्दे को बेबाकी से सामने लाती हैं। लेखिका का रचना संसार बहुत व्यापक है। नासिरा शर्मा ने अब तक निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की हैः सात नदियां एक समंदर, शाल्मली, ठीकरे की मंगनी, ज़ीरो रोड, जिंदा मुहावरे, अक्षयवाट, कुइयांजान, कुछ रंग थे ख्वाबों के, पारिजात, अजनबी जजीरा, अल्फागामा बीटा, शब्द पखेरू, दूसरी जन्नत तथा कागज़ की नाव आदि। इसी प्रकार कहानी संग्रह को भी देखा जा सकता हैः पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, शामी कागज़, शबीना के चालीस चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल, सुनहरी उँगलियाँ और बुतखाना आदि। उपन्यास तथा कहानी के इतर भी नासिरा शर्मा ने लेखन कार्य किया है। इनके वृहत रचना कर्म के लिए इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनके लेखन में बच्चों से संबंधित विषयों को विशिष्ट स्थान दिया गया है।

बाल यौन शोषण के अर्थ की बात करें तो कहा जा सकता है कि जब कोई वयस्क व्यक्ति किसी बच्चे को यौनिक उद्देश्य या यौन आनंद की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है तो इसे बाल यौन शोषण कहा जाता है। अन्य शब्दों में यौन सुख प्राप्ति के लिए बच्चों के साथ किया गया लैंगिक दुर्व्यवहार बाल यौन शोषण कहलाता है। "This is when someone touches your bodyAnd private parts and does things that you don't like or don't want to. It isAlso when they force you to have sex"[1] ऐसा नहीं है कि केवल बलात्कार ही यौन शोषण है बल्कि अनुचित तरीके से किया गया स्पर्श, कामुक बातें तथा व्यवहार भी इसके दायरे में आता है। इसी के साथ बाल यौन शोषण पर चर्चा करते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अपराधी कहीं भी, कभी भी उपस्थित हो सकता है। बाल यौन शोषण का सबसे दुखद पहलू यह है कि बच्चे अधिकतर मामलों में अपने घर–परिवार या किसी न किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा ही शोषित होते हैं। देखा जाए तो इसका कारण यह भी होता है कि बच्चों तक अजनबी व्यक्ति की पहुँच इतनी आसान नहीं होती, जितनी परिवार के सदस्य या अन्य विश्वासपात्र की होती है। इसी के साथ शोषक पर आसानी से संदेह भी नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसी घटनाएं इस रूप में अधिक होती हैं। ऐसे मामलों में पिता द्वारा अपने बच्चों के साथ किया गया यौन शोषण उनके जीवन को अँधेरे गर्त की ओर धकेल देता है। माता–पिता बच्चों के लिए सर्वाधिक करीबी होते हैं। बाल मन सहजता से उनके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है परंतु रक्षक ही जब भक्षक का रूप धारण कर ले तब बच्चे के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई विकल्प नहीं रह जाता। नासिरा शर्मा की 'बिलाव' शीर्षक कहानी एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ किए गए यौन शोषण की दर्दनाक कथा को बखूबी चित्रित करती है। इस कहानी में मैना नामक लड़की, जिसकी उम्र महज 12 वर्ष है, के साथ उसके पिता बलबीर को यौन शोषण करते हुए दर्शाया गया है। कहानी में इस प्रसंग को बच्ची की माँ के माध्यम से इस प्रकार शब्दांकित किया गया है, "मेरी बेटी की इज़्ज़त लूटी है मेरे आदमी ने।... मैं उधर, टेलीफोन बिल्डिंग के सामने वाली झुग्गियों में रहती हूँ। मेरा पति बलबीर शराबी है। उसने मेरी बेटी की इज्ज़त खराब की है।"[2] यह वाक्य मैना की माँ सोनामाटी पुलिस के समक्ष कहती है। यह कहानी घर–परिवार के भीतर दरकती नैतिकता को रेखांकित करती है साथ ही इसमें बाल यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ सोनामाटी के माध्यम से आवाज़ उठाने का सराहनीय कदम भी उठाया गया है। दरअसल सरकार की ओर से इस अपराध की रोकथाम के लिए पॉक्सो (POCSO) एक्ट लागू किया गया है। पॉक्सो अर्थात् प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)। इसे 14 नवंबर 2012 में बच्चों के संरक्षण के लिए लागू किया गया परंतु इस समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं हो सकता क्योंकि इसके अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं करवाए जाते। दोषी के घर–परिवार से जुड़े होने के कारण तथा और भी अन्य सामाजिक कारणों के चलते इस तरह की घटनाओं पर मौन धारण कर लिया जाता है। कुछ मामलों में यह देखा गया है कि जब बच्चे को कोई गंभीर शारीरिक पीड़ा, बीमारी या संक्रमण होता है तब ऐसी घटना सामने आती है। ऐसे में नासिरा शर्मा जैसी सजग लेखिका सोनामाटी

जैसी स्त्री को अपने ही पति द्वारा किए गए निकृष्ट अपराध के खिलाफ पुरज़ोर विरोध करते हुए दिखाती है। ऊपर उद्धृत कहानी की पंक्तियों में मैना की 'इज़्ज़त' खराब होने की बात भी कही गई है जो कि समाज की रुग्ण पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाती है जिसके अनुसार स्त्री की इज़्ज़त को उसकी योनि से जोड़ा जाता है। बलात्कार करने के बाद भी बलात्कारी की इज़्ज़त नहीं जाती बल्कि पीड़ित/पीड़िता की इज़्ज़त चली जाती है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति को ही जीवन भर समाज से मिली यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यहाँ लेखिका इस मानसिकता को दर्शाने के बहाने उस पर कुठाराघात भी करती है।

बाल यौन शोषण के दुष्प्रभाव की बात करें तो इसमें केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक मानसिक पीड़ा भी शामिल होती है क्योंकि बचपन में मिले घाव भले ही शरीर पर से कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं परंतु कोमल बालमन पर लगे घाव आजीवन रिसते रहते हैं। ऐसी दर्दनाक घटनाएं बच्चे के व्यक्तित्व को गहरे स्तर पर प्रभावित करती हैं। इससे बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। भविष्य में वह सहज विश्वास करने की स्थिति में भी नहीं रहता। 'बिलाव' कहानी में पिता से शोषित हो कर मैना भी ऐसे ही कई कष्टों का सामना करती है। घटना के पश्चात नारी मुक्ति संस्था मैना को ले जाती है। जब सोनामाटी वहाँ उससे मिलने जाती है तब वह देखती है, "बारह वर्ष की मैना उदास, बाल खोले, दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। उसका चेहरा सपाट था। उसकी आँखें फटी–फटी सी थीं। उसने खाली आँखों से माँ को तका, फिर सामने मैदान पर अपनी नज़र गड़ा दी।... 'बस! अब तुम जाओ। लड़की को दिमागी सदमा लगा है। इलाज हो रहा है। जरूरत पड़ी तो इसको अस्पताल में भरती कराना पड़ सकता है। इसको आराम की सख्त जरूरत है।"[3] इन पंक्तियों में मैना के मन–मस्तिष्क पर पड़े प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेखिका इसके लिए 'सदमा' शब्द का प्रयोग भी करती है। यौन शोषण के उपरांत बाल मन के घाव की क्षतिपूर्ति आजीवन नहीं हो पाती है।

प्रस्तावित कहानी केवल परिवार में होने वाले यौन शोषण ही नहीं बल्कि अन्य 'विश्वास पात्र' द्वारा किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया जाता है, यह भी स्पष्ट करती है। जब परिवार में इस तरह की असामान्य घटना घटित होती है तब परिवार के अन्य सदस्य भी इसके दुष्परिणाम भोगते हैं। कुछ समय बाद जब सोनामाटी अपनी बेटी के साथ पुराना घर छोड़ कर नए स्थान पर रहने चली जाती है तब वहाँ भी उनके साथ जुड़ी घटना मोहल्ले में फैल जाती है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि शोषक प्रवृत्ति के लोग ऐसे नाजुक समय में अवसर की खोज में रहते हैं। मैना की छोटी बहन हीरा के साथ भी उनके पड़ोस का एक व्यक्ति यौन शोषण करता है। सोनामाटी जिसे अपना भाई मानने लगी थी, उसी के द्वारा विश्वासघात करने पर वह स्तब्ध रह जाती है। इस घटना को लेखिका ने इस प्रकार रेखांकित किया है, "उस रात से भयानक यह दोपहर साबित हुई। सामने ज़मीन पर नंगी हीरा पड़ी थी। वह बेहोश थी या मर चुकी थी, यह समझने का होश सोनामाटी को नहीं रह गया था।... मैना माँ की बगल से निकलकर जब अंदर गई तो बहन की हालत देखकर सकते में आ गई। उसकी आँखें भर आईं। उसने बहन के बदन पर चादर डाली।... होंठों के कोने पर जमा खून उसने आहिस्ता से पोंछा और हिम्मत करके चादर हटा बदन देखा। नन्हे से सीने पर दांत के निशान थे। मैना ने बहते आँसू पोंछे और बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा।"[4] उपरोक्त पंक्तियों में हीरा की यह अवस्था उसके साथ हुई घटना को वर्णित करती है। 'बिलाव' कहानी को बाल यौन शोषण की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण रचना कहा जा सकता है।

इसी प्रकार लेखिका की 'फिर कभी' कहानी में भी बाल यौन शोषण की व्यथा–कथा को दिखाया गया है। यह कहानी गरीबी या अन्य कारणों के चलते सड़कों पर गुजर–बसर करने वाले बच्चों पर केंद्रित है। कहानी बच्चों के ऐसे समूह पर केंद्रित है, जो किसी न किसी कारणवश अपने घर–परिवार से दूर हैं और एक रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं। इसमें ग्यारह वर्षीय मीनाक्षी के माध्यम से यौन शोषण को केंद्र में रखकर कहानी को आकार दिया गया है। मीनाक्षी का कथन कुछ इस प्रकार है, "मैं तुम लोगों में सबसे बड़ी हूँ। जब आई थी तो अकेली थी। गुस्सा भरा हुआ था मन में, दिल चाहता था इन सारे लोगों को उसी तरह पीटूँ, जैसे यह लोग हमको धूनते हैं। यह सोच ही रही थी रात को लेटे–लेटे प्लेटफ़ॉर्म के फर्श पर कि एक आदमी मुझे बुलाकर ले गया एक बोगी में और मुझे बहुत मारा। इतना मारा कि मैं डर और चोट से बेहोश हो गई। जब उठी तो देखा, मेरे बदन पर कपड़े नहीं थे।

सब समझ गई।"[5] जाहिर है उक्त पंक्तियाँ अपराधी द्वारा शक्ति प्रयोग कर, बाल यौन शोषण की घटना को अंजाम देने की कथा कहती हैं। यहाँ बाल यौन शोषण के साथ–साथ बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है। बाल यौन शोषण के प्रमुख कारणों पर विचार करें तो देखा जाता है कि जो बच्चे अपने माता–पिता से दूर सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर होते हैं, उनके साथ इस तरह की घटनाएं अधिक मात्रा में होने की संभावना रहती है। 'स्टडी ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजः इंडिया 2007' की रिपोर्ट के अनुसार "Children on street, children at work and children in institutional care reported the highest incidence of sexual assault."[6] नासिरा शर्मा की 'फिर कभी' कहानी निश्चित रूप से बाल यौन शोषण को अलग ढंग से मार्मिकता के साथ पाठकों के समक्ष रखती है।

बाल यौन शोषण हो या यौन शोषण इसके संबंध में अक्सर यह आम धारणा होती है कि यह लड़कियों/स्त्रियों के साथ होता है परंतु यह एक सीमित दृष्टिकोण है। बाल यौन शोषण लड़कों के लिए भी उतना ही खतरनाक है, जितना लड़कियों के लिए। "It's important to recognize that sexual abuse of boys is just as serious as sexual abuse of girls."[7] नासिरा शर्मा द्वारा रचित 'गूंगी गवाही' नामक कहानी इसी विषय पर केंद्रित है इसीलिए यह कहानी अन्य रचनाओं की तुलना में अधिक महत्त्व रखती है क्योंकि लड़कों के साथ होने वाले यौन शोषण पर साहित्य में भी गिनी–चुनी रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस कहानी में चाँद नामक बालक के साथ यौन शोषण व उसके उपरांत उसकी मृत्यु की दुखद घटना चित्रित की गई है। इसमें चाँद का वर्णन एक बहुत सुंदर बच्चे के रूप में किया गया है, जिसके रूप को देख कर सभी प्रशंसा किया करते थे। कहानी में चाँद के साथ हुए यौन शोषण का खुलासा एक बच्ची के माध्यम से होती है, जो गूंगी है। इस चमेली नाम की बच्ची के बहुत प्रयास करने पर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता इसीलिए इस कहानी का नाम प्रतीकात्मक रूप से 'गूंगी गवाही' रखा गया है। कहानी की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, "अंदर धूप की ताज़गी फैली थी। उसमें चाँद का चेहरा दमक रहा था। हबीब बिलबिलाकर बेटे की नंगी लाश पर गिरा, जिस पर चींटिया, कीड़े चल रहे थे।... चाँद को दफनाने के इंतजाम में गौहर लग गया था। ढेरों अगरबत्ती सुलगने के बाद भी नाक पर कपड़ा बांधना पड़ रहा था। कफन, कपूर इत्यादि रहीम खरीद लाया था, अब नहलाने के लिए कोरे मटके में पानी भर रहा था, तभी दो सिपाही खबर मिलने पर आकर खड़े हो गए। उनकी कार्यवाई शुरू हो गई। भीड़ छँट गई थी। पूरे बदन पर किसी चोट का निशान या घाव नहीं था, बस पीछे की ओर... गौहर वह सब देखकर बौखला गया।"[8] प्रस्तुत पंक्तियाँ चाँद के साथ हुए यौन शोषण की पुष्टि करती हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नासिरा शर्मा इस विषय पर लिखते समय किस प्रकार शब्द चयन करती है। लेखिका ने ऐसे संवेदनशील विषय पर घटना के बारे में सांकेतिक रूप से वर्णन किया है।

निष्कर्ष

लेखिका 'गूंगी गवाही' कहानी के माध्यम से बाल यौन शोषण के अन्य पहलुओं को भी सामने लाती है। यह ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का शोषण वयस्क व्यक्ति ही करे। कभी–कभी किशोरावस्था में भी इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। यौन शिक्षा के अभाव में बच्चों तथा किशोरों के मन में जब कुंठा जन्म ले लेती है तब वह इसी प्रकार अपना करूप दिखाती है। नासिरा शर्मा कहानी में लिखती हैं, "बात सच भी थी कि अठारह–उन्नीस वर्ष के ये तीनों लड़के एक मोहल्ले में ज़रूर रहते थे, मगर आपस में यारी नहीं थी।... वह चमेली कहत रही कि होली की साम सुखिया, नवाब, गोपी इधर–उधर डोलत रहे। फिर लेमनचुसवा दिखाए के चमेली को अपने पास बुलाइन रहा। भाग्य हमारे भौजी कि ओहि समय हमरे पुकारे पर वह घर आय गई, मगर उनके साथ चाँद को जाते ज़रूर देखिस रही... चंपा आई रही, कहत रही, चमेली ओका बताइस है कि चाँद का ऊ तीनों मुस्टंडे लेकर टीलेवाले खंडहर की ओर गए रहे होली की शाम।"[9] ऊपर उद्धृत पंक्तियाँ अठारह–उन्नीस वर्षीय लड़कों द्वारा किए गए इस अपराध के कटु सत्य को दर्शाती हैं।

अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि अपनी रचनाओं के कथ्य में नए अनूठे प्रयोग तथा उपेक्षित विषयों व किरदारों को केंद्र में लाकर नासिरा शर्मा ने अपने लेखकीय कौशल का परिचय दिया है। बाल यौन शोषण किसी

व्यक्ति या स्थान विशेष तक सीमित नहीं है इसीलिए सभी को एकजुट हो कर इसके विरुद्ध प्रयास करने पर ही समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। इस संदर्भ में नासिरा शर्मा का रचनाकर्म एक सकारात्मक कदम कहा जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. चाइल्ड राइट्स सेंटर (2015) *नोबडी इज़ अलाउड टू हार्म यू. सर्बिया,* चाइल्ड राइट्स सेंटर, सर्बिया, पृ. 16।
2. शर्मा, नासिरा (2002) *बुतखाना, बिलाव,* लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 68, 69।
3. वही, पृ. 69।
4. वही, पृ. 74।
5. शर्मा, नासिरा (2019) *गलियों के शहज़ादे. फिर कभी,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 12।
6. स्टडी ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़: इंडिया 2007 (2007) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ. 102।
7. https://www.ceopeducation.co.uk/parents/articles/sexual-abuse-why-boys-are-less-likely-to-ask-for-help/, Accessed on 18/09/2024.
8. शर्मा, नासिरा (2019) *गलियों के शहज़ादेत्र गूंगी गवाही,* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 36, 37।
9. वही, पृ. 32,33,35।

——==00==——